चन्द्र मोहन वर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 350-351/2020

इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा रिट ए संख्या 35714/2015 में पारित निर्णय एवं आदेश एवं सी.एम. पुर्नविलोकन याचिका संख्या 5/2018 के आदेश से

अपीलार्थी के तरफ से:- पी.एस. पटवालिया सुनील गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. शोएब आलम, सिद्धार्थ बख्सी, मोहाजिद करीम खान, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के तरफ से:- अंकित गोयल, गौरव सिंह, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चन्द्रचूड के न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2 फरवरी 2018 के अपने निर्णय से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलार्थी द्वारा संस्थित एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में, अपीलार्थी ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जी.एस.वी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर में एल.पी.एस. संस्थान के हृदय रोग विभाग के प्रमुख एवं प्रोफेसर के रूप में सेवा में बने रहने के लिए परमादेश की मांग की । उन्होंने इस आधार पर अनुतोष का दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। अपीलार्थी ने उपरोक्त सरकारी अधिसूचना जारी होने से पहले 13 अगस्त 2014 को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी। लेकिन, 19 नवंबर 2012 के सरकारी निर्णय के संदर्भ में, उन्हें 30 जून 2015 तक सेवा के विस्तार का "सत्र लाभ" दिया गया था। इस विस्तार के आधार पर, अपीलार्थी का मामला यह है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु में विस्तार का हकदार है जिसे 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना द्वारा लाया गया है। इस दावे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश द्वारा

खारिज कर दिया गया, जिस पर अपील में सवाल उठाया गया है।

2. 1 अप्रैल 1992 को, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 241 (2) (बी)के तहत यूपी मौलिक नियम कोअधिसूचित किया गया था। नियम 56 में प्रावधान है किः

इस नियम में अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

"बशर्ते"

3. 21 दिसंबर 1990 को, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षक, सेवा नियमावली 1990 को राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया था। नियम 9 में सीधी भर्ती द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती के लिए अधिकतम आयु विहित की गई है। प्रोफेसरों के लिए यह 45 वर्ष थी। अन्य बातों के अलावा, नियमों में भाग II में कैडर के गठन, भाग III में भर्ती, भाग IV में नियुक्ति के लिए मात्रा, भाग V में भर्ती की प्रक्रिया, भाग VII में वेतन संबंधी मामलों के लिए प्रावधान है। नियमों में सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन, नियम 26 में निम्नलिखित शर्त शामिल थीः

“26. अन्य मामलों का विनियमन.- इन नियमों या विशेष आदेशों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए मामलों के संबंध में, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के मामलों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों पर आम तौर पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

नियम 26 के आधार पर, चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु मौलिक नियमों के नियम 56 द्वारा शासित होती थी, जो इसे 60 वर्ष निर्धारित करती थी।

4. 16 मार्च 2005 को, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्न शर्तों में एक सक्षम प्रावधान को शामिल करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् ने शिक्षकों के

लिए न्यूनतम योग्यता में चिकित्सा संस्थान विनियम 1998 में संशोधन किया गया थाः

"अधिकतम आयु सीमा जिस तक किसी व्यक्ति को शिक्षक या डीन या प्राचार्य या निदेशक के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है या विस्तार दिया जा सकता है या सेवा में फिर से नियोजित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदंडों के अनुसार भरना आवश्यक है जहां किसी भी मेडिकल कॉलेज या शिक्षण संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए आयु 65 वर्ष होगी।

मेडिकल शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह प्रावधान किया गया था. इसे 17 सितंबर 2010 को संशोधित किया गया ताकि 70 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष किया जा सके।

5. 19 नवंबर 2012 को अधिसूचित एक निर्णय द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य ने यह प्रावधान किया कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्राचार्य, जिन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त होना था उन्हें अगले वर्ष के सत्र के अन्त यानि 30 जून तक सेवा विस्तार प्रदान किया जाएगा। इसे 'सत्र समाप्ति लाभ' के रूप में वर्णित किया गया है।

6. 6 फरवरी 2015 को, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा निर्णय लिया गया था कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षकों की निरंतर कमी को पूरा करने के लिए, सेवारत संकाय सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा समाप्त कर दी जाएगी।

7. अपीलार्थी, जिसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1954 है, 17 अप्रैल 1986 को जीएसवीएम चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में तदर्थ व्याख्याता के रूप में शामिल हुआ। समय के साथ उसे सेवा में पदोन्नति मिली। अगस्त 2014 में वह कार्डियोलॉजी में हृदय रोग विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। नियम 56 के अनुसार, उन्हें 13 अगस्त 2014 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना था।

8. 6 अगस्त 2014 को, अपीलार्थी द्वारा 31 मई 2014 को दायर एक आवेदन पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें जी.ओ दिनांक 19 नवंबर 2012 के निर्धारित सत्र को पूरा करने पर सत्र के अंत तक सेवा विस्तार का लाभ दिया गया था, यह आशंका जताते हुए कि शैक्षणिक सत्र के समापन पर 30 जून 2015 को उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उनकी सेवानिवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की गई।

9. 30 जून 2015 को, राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सत्र के अंत में, अपीलार्थी 30 जून 2015 को कार्यालय छोड़ देगा। ओ. एम नीचे दिया गया हैः

"कार्यालय ज्ञापन"

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि आपके द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु आपके नाम के सामने उल्लिखित तिथि को 60 वर्ष पूरी होने के बाद, नीचे नामित चिकित्सा शिक्षक के लिए सत्र समाप्ति लाभ की अवधि 30.6.2015 को समाप्त हो जाएगीः

क्रमांक	चिकित्सा शिक्षक	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	पोस्टिंग का वर्तमान स्थान	सत्र समाप्ति लाभ की समाप्ति की तिथि
१	डा. सी. एम. वर्मा	13.06.1954	31.08.2014	हृदय रोग विभाग संस्थान, कानपुर के हृदय रोग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	30.06.2015

2. उपरोक्त के आलोक में सत्र समाप्ति लाभ के तहत काम कर रहे उपरोक्त नामित चिकित्सा शिक्षक की सेवाएं 30.06.2015 को समाप्त हो जाएंगी।"

10. 1 जुलाई 2015 को, अपीलार्थी ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को एक पत्र लिखकर पुर्ननियुक्ति की मांग की, जिसमें कहा गया है कि वह डीजीएमई के टेलीफोनिक निर्देशों के अनुसरण में ऐसा कर रहा था, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक सेवा में निरंतरता का दावा करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी।

11. 2 जुलाई 2015 को, अपीलार्थी को अगले आदेश तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, हृदय रोग के प्रोफेसर के पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने प्रारंभ में लंबित याचिका में अपने अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पुनर्नियुक्ति पर सेवा में शामिल होने का एक पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया और एक नया ज्वाइनिंग पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने ओ. एम दिनांक 30 जून 2015 को चुनौती देने के लिए रिट याचिका में संशोधन किया। राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि अपीलार्थी 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले ही 13 अगस्त 2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था और 31 अगस्त 2014 को सेवानिवृत्त हो चुका था। राज्य सरकार के अनुसार, 30 जून 2015 तक अपीलार्थी की निरंतरता उनकी सत्र समाप्ति लाभ के अनुदान के आधार पर थी क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख सत्र के बीच में थी. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2 फरवरी 2018 के अपने फैसले में रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी, को "लागू करने के बजाय नजरअंदाज किया जाना चाहिए"। उच्च न्यायालय के तर्क यह इंगित करता है कि;

(i) याचिकाकर्ता यूपी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षक सेवा नियमावली 1990 द्वारा शासित है। ये नियम चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु का प्रावधान नहीं करते हैं। ऐसी

स्थिति में, सरकारी सेवकों पर लागू होने वाली नियम अर्थात् यूपी मौलिक नियम लागू होगी;

(ii) मौलिक नियमों का नियम 56(ए) सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित करता है। इस नियम में राज्य द्वारा संशोधन नहीं किया गया है । इसलिए, 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करना मौलिक नियमों के नियम 56(ए) के विपरीत था; और

(iii) जीओ ('सरल आदेश') मौलिक नियमों ('श्रेष्ठ विधान') के अधीन था और इसलिए, इसके विपरीत होने के कारण, इसका प्रभाव नहीं होगा।

अपलार्थी ने इस आधार पर निर्णय के पुर्नाविलोकन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की कि

(i) यह बिना विचार किए था और डॉ. जूही सिंघल बनाम यूपी राज्य मामले में उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के पूर्व निर्णय के विपरीत था; और

(ii) इसने गलती से मौलिक नियमों को लागू कर दिया था, जबकि 1990 के नियमों के नियम 26 के तहत, 06 फरवरी 2015 की अधिसूचना एक (विशेष आदेश) होने के कारण 6 फरवरी 2015 से लागू होगी।

दिनांक 14 मार्च 2019 के एक निर्णय द्वारा पुर्नाविलोकन को खारिज कर दिया गया।

12. उच्च न्यायालय के निर्णय पर आलोचना करते हुए, वरिष्ठ वकील श्री पीएस पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि;

(i) यद्यपि अपीलार्थी ने 13 अगस्त 2014 को मौलिक नियमों के नियम 56 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और 31 अगस्त 2014 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, उसे जी.ओ दिनांक 19 नवंबर 2012 का लाभ दिया गया था जिसके अनुसार उनकी सेवाएं 30 जून 2015 को सत्र के अंत तक बढ़ा दी गईं;

(ii) सेवा के विस्तारित कार्यकाल के दौरान, राज्य सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया। सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए जो उस

तारीख को सेवा में था। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया;

(iii) उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर गया कि 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई है, मौलिक नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत है। 1990 के नियमों के नियम 26 के अनुसार, जो मामले विशेष रूप से नियमों या विशेष आदेशों में प्रदान नहीं किए गए हैं, वे आम तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करना नियम 26 के अर्थ में एक विशेष आदेश है एमसीआई विनियम 1998 में एक सक्षम प्रावधान है जिसके संदर्भ में राज्य सरकार सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने की हकदार थी;

(iv) अपीलार्थी 30 जून 2015 तक दिए गए सत्र समाप्ति लाभ के कारण अपनी विस्तारित सेवा के लंबित रहने के दौरान जारी 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना के लाभ का हकदार है। सत्र लाभ की समाप्ति के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति स्थगित हो जाती है और इसे सत्र के अंत यानी 30 जून 2015 को ही माना जाएगा। इसलिए, अपीलार्थी उस तिथि से पहले उत्पन्न होने वाले सभी लाभों का हकदार होगा, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाना भी शामिल है;

(v) जी. ओ 19 नवंबर 2012 ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों की तरह चिकित्सा शिक्षकों को भी सत्र समाप्ति लाभ समान रूप से दिया। राम वीर शर्मा बनाम यूपी राज्य ("रामवीर शर्मा") में, इस न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत विनियमों के अध्याय III के विनियम 21 के प्रावधानों के अर्थ में कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि पर सेवानिवृत्त नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि 30 जून उस तारीख के बाद जिस दिन 60 वर्ष की आयु प्राप्त किया था सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए

(vi) इस न्यायालय द्वारा दिए गए राम वीर शर्मा के फैसले के अलावा, उच्च न्यायालय को एक समान मुद्दे से निपटने का अवसर मिला है। डॉ जूही सिंघल बनाम यूपी राज्य द्वारा चिकित्सा शिक्षा और

प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव ("जूही सिंघल") ; उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा लखनऊ बनाम श्रीमती हेमा पाठक ("हेमा पाठक"); और डॉ प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी बनाम यूपी राज्य; ("राजेंद्र चौधरी") हालांकि, राजेंद्र चौधरी मामले में सेवानिवृत्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा को निरस्त करने के संदर्भ में इस न्यायालय ने अपने 28 अगस्त 2019 के फैसले की पुष्टि की है।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की तरफ से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरव सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया किः-

(i) अपीलार्थी ने 13 अगस्त 2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली, जो प्रासंगिक समय पर 60 वर्ष थी और 31 अगस्त 2014 को पद छोड़ दिया होगा।

(ii) सत्र के अंत 30 जून 2015 तक दिनांक 19 नवंबर 2012 के जी.ओ के संदर्भ में 30 जून 2015 तक उनकी निरंतरता ने सेवानिवृत्ति की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया

(iii) 30 जून 2015 तक अपीलार्थी की निरंतरता केवल सत्र के बीच में सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए थी

(iv) सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने वाली 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना अपीलार्थी पर लागू नहीं होगी, जिसने 13 अगस्त 2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है

(v) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय III के तहत बनाए गए विनियमों में निहित विनियम 21 के प्रावधानों और जी. ओ दिनांक 19 नवंबर 2012 के प्रावधानों के बीच अंतर है। विनियम 21 के तहत, सेवा के विस्तार के लिए एक प्रावधान है, जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति आगामी शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगी। विनियमन 21 में एक ऑप्ट.आउट प्रावधान शामिल है। दूसरी ओर दिनांक 19 नवंबर 2012 जी. ओ के अनुसार, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में सत्र समाप्ति लाभ का विस्तार सेवा में संतोषजनक प्रदर्शन पर सशर्त है। परिणामस्वरूप, जी.ओ. दिनांक 19 नवंबर 2012 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु में कोई विस्तार नहीं माना गया है; और

(vi) सेवानिवृत्ति की तारीख स्थगित नहीं की जाती है। राम वीर शर्मा मामले में इस न्यायालय का

निर्णय और हेमा पाठक मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय अलग.अलग है। जूही सिंघल मामले में निर्णय भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त करने से संबंधित था और इसका कोई आवेदन नहीं है।

ऐसा ही मामला डॉ. राजेंद्र चौधरी के निर्णय के साथ भी है जो 28 अगस्त 2019 को इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए आया था।

14. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, मौलिक नियमों के नियम 56 के संबंध में आधार स्पष्ट करना आवश्यक है। नियम 56 (ए) में कहा गया है कि (इसमें अन्यथा प्रावधान को छोड़कर) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिसमें 60 वर्ष की आयु हो गयी है। उच्च न्यायालय ने नियम 56 (ए)पर भरोसा करते हुए धारित किया कि सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने वाला एक 'सरल' जी.ओ मौलिक नियमों में निहित सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने धारित किया कि नियम 56 (ए) में निर्धारित 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना द्वारा बदला नहीं जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

“इस प्रकार, यह मानते हुए भी कि उपरोक्त सरकारी आदेश याचिकाकर्ता की सेवा के दौरान आया था, नियमों के नियम 56 (ए) के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने का प्रभाव नहीं होगा जो कि अपरिवर्तित है।

“उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि उच्च न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया कि

(i) सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का आदेश याचिकाकर्ता की सेवा के दौरान नहीं आया था; और

(ii) यदि ऐसा होता भी, तो इसका नियम 56 (ए) में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि अपरिवर्तित है।

15. 1990 के नियमों का नियम 26 उन नियमों, विनियमों और आदेशों को लागू करता है जो आम तौर

पर राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर उन मामलों के संबंध में लागू होते हैं जो उन नियमों में "या विशेष आदेशों में" विशेष रूप से प्रदान नहीं किए जाते हैं। 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करना, नियम 26 के अर्थ में एक विशेष आदेश है। यह स्थिति है और 1990 के नियमों के संदर्भ में है जो कि है अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत तैयार किया गया है , 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना में निर्धारित सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु को अधिकारातीत नहीं माना जा सकता है। वास्तव मे, जैसा कि हमने देखा है, एमसीआई द्वारा बनाए गए नियमों में एक सक्षम प्रावधान शामिल है जिसके अनुसरण में यह राज्य सरकार के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में काम करने वाले संकाय के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि प्रदान करने के लिए खुला था। उच्च न्यायालय का यह विचार कि 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना मौलिक नियम 56 के दायरे से बाहर है, इसलिए गलत है।

16. हालांकि मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष तक बढ़ने का लाभ पाने का हकदार था। श्री पीएस पटवालिया के तर्क दो परिकल्पनाओं के आधार पर आगे बढ़ते हैंः जी.ओ दिनांक 19 नवंबर 2012 जिसके द्वारा सत्र के अंत तक सेवा विस्तार की सुविधा दी गई है, चिकित्सा विभाग के संकाय को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान आधार पर रखता है; और संकाय का एक सदस्य जो 6 फरवरी 2015 को शैक्षणिक सत्र के अंत तक सेवा विस्तार पर था, वह 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना द्वारा लाए गए सेवानिवृत्ति की आयु के विस्तार का हकदार होगा।

17. प्रस्तुत किये गये तर्क का मूल्यांकन करने के लिए, उन शर्तों पर विचार करना आवश्यक है जिन पर 19 नवंबर 2012 को सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षकों को सत्र समाप्ति लाभ देने का निर्णय लिया गया था। मुख्य सचिव का महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संवाद का विषय नीचे दिया गया हैः

"राज्य एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सत्र समाप्ति लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।“

(जोर दिया गया)

संवाद में कहा गया है

“मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निर्देश हुआ है कि शिक्षा अनुभाग-1 s के शासनादेश के अनुसार। आदेश संख्या 7022/15(1)/83/83-31(16)/77 दिनांक 21.03.1984 द्वारा सरकारी स्कूलों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों सत्र के अंत (अर्थात 30 जून) तक सेवा विस्तार की सुविधा प्रदान की गई है। उसी प्रकार तकनीकी शिक्षा अनुभाग. 2s के शासनादेश के अनुसार। आदेश संख्या 934/टीई-2-7 (ई) ईडी-78 दिनांक 27.06.1988 के तहत अनुदेशकों, व्याख्याता विभागाध्यक्षों एवं प्राचार्यों को शैक्षणिक सत्र के अंत (अर्थात् 30 जून) तक सेवा विस्तार की सुविधा प्रदान की गई है, जो सत्र के मध्य अर्थात 01 जुलाई से 30 जून तक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

2. शैक्षणिक सत्र के अंत तक (अर्थात 30 जून तक) सेवा विस्तार की सुविधा, सत्र समाप्ति के लाभ को मंजूरी देकर, सरकार के व्याख्याता, सहायक प्रोफेसर, जूनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्राचार्यों को दी जाती है। शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की तरह एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैंः-

(1) वह भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के अनुसार नियमित रूप से किसी भी विषय को पढ़ा रहा है ।

(2) वह न्यूनतम 03 वर्षों से लगातार इस पद पर कार्यरत हैं और उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हैं।

(3) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही या सतर्कता जांच लंबित नहीं है।

3. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे अधिकारी जो शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिना

किसी विशेष कारण के उनकी सेवा के अंतिम वर्ष में शिक्षण कार्य में प्रतिनियुक्त न किया जाए, जिससे अनावश्यक रूप उन्हें 30 जून तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल सके।

"(जोर दिया गया)"

उपरोक्त संचार से पता चलता है कि सत्र समाप्ति लाभ का अनुदान राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के लिए "सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के बाद" है। इसका प्रभाव यह है कि एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है, वह शैक्षणिक सत्र के अंत तक जारी रह सकता है। शिक्षा विभाग के मामले में, यह परिकल्पना की गई थी कि एक शिक्षक जो सत्र के बीच में (अगले वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक) सेवानिवृत्त हो जाएगा, वह शैक्षणिक सत्र के अंत (30 जून) तक जारी रहेगा।

इस सुविधा को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के संकाय तक विस्तारित करते समय, 19 नवंबर 2012 के संचार ने यह स्पष्ट कर दिया कि सेवा का विस्तार स्वचालित नहीं था, बल्कि निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन था। ये थेः

(i) शिक्षक को नियमित रूप से एक विषय पढ़ाना चाहिए;

(ii) शिक्षक को तीन वर्ष की अवधि से लगातार पद पर कार्यरत होना चाहिए;

(iii) शिक्षक का कार्य एवं आचरण संतोषजनक होना चाहिए; और

(iv) शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय या सतर्कता जांच लंबित नहीं होनी चाहिए।

सत्र समाप्ति लाभ अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगा।

18. जिस तारीख को कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है वह मौलिक नियमों द्वारा विहित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा 19 नवंबर 2012 को सूचित किया गया निर्णय सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख में कोई बदलाव नहीं करता है। हालाँकि, निर्णय का प्रभाव शैक्षणिक सत्र के अंत से पहले शिक्षा निर्देश में व्यवधान को रोकने के मुख्य उद्देश्य के साथ सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद बने रहने की अनुमति देना है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य से पुष्ट होता है कि सत्र के अंत तक कर्मचारी की निरंतरता निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

19 दिनांक 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया हैः

(i) सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना; और

(ii) यूपीपीएससी के माध्यम से चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त करना। सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना भावी था और यह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में उन चिकित्सा शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्होंने प्रचलित नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की है। राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया है कि उसने लगातार यह स्थिति अपनाई है कि 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना, जिसमें चिकित्सा शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है, संभावित है और यह शिक्षकों पर लागू नहीं होगी, जैसे कि अपीलार्थी जो 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना से पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका था। एक व्यक्ति जो अधिसूचना जारी होने से पहले 60 वर्ष की आयु पार कर चुका था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था, लेकिन तब तक विस्तार पर था सत्र का अंत सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि से लाभ पाने का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में विशेष रूप से कहा है किः

“.... ऐसा कोई चिकित्सा शिक्षक नहीं है जिसने 6.2.2015 को जी. ओ जारी होने से पहले 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जिसे सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष में वृद्धि का लाभ दिया गया हो,

“ सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण कार्यकारी नीति का मामला है। अपीलार्थी ने 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना से पहले सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और वह सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के लाभ का हकदार नहीं था।

20. अपीलार्थी ने डॉ. एके मेहरोत्रा, डॉ. मंगल सिंह और डॉ. प्रदीप भारती के उदाहरणों पर भरोसा करते

हुए भेदभाव का मामला दायर किया है। हालाँकि, विशेष अनुमति याचिका में अपीलार्थी द्वारा बताए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि तीनों डॉक्टरों में से प्रत्येक ने 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना की तारीख के बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अपीलार्थी द्वारा एस.एल.पी. में जिन विवरण को प्रकट किया गया वो इस प्रकार हैः-

"1. डॉ. एके मेहरोत्रा (एसपीएम, चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी में प्रोफेसर) .

जन्मतिथि 1.4.55 / 31.3.15 को 60 वर्ष पूर्ण

2. डॉ. मंगल सिंह (ईएनटी, चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद में प्रोफेसर) .

जन्मतिथि 5.6.1955/ 30.6.15 को 60 वर्ष पूर्ण

3. डॉ. प्रदीप भारती (शल्य चिकित्सा, मेरठ चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर) .

जन्मतिथि 26.3.55 / 31.3.15 को 60 वर्ष पूर्ण।"

21. अपीलार्थी ने राम वीर शर्मा बनाम यूपी 15 राज्य के मामले में इस न्यायालय के 4 जून 2014 के फैसले पर भरोसा जताया है। उस मामले में, अपीलार्थी को 1 जुलाई 2006 से पदधारी की सेवानिवृत्ति के कारण बनी रिक्ति पर तदर्थ प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 6 अगस्त 2007 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए। जबकि उन्हें 30 जून 2008 को शैक्षणिक सत्र के अंत तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें 6 अगस्त 2007 के बाद प्राचार्य के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति नहीं दी गई थी और न ही उन्हें उनकी परिलब्धियां दी गयी। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या 6 अगस्त 2007 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, अपीलार्थी प्राचार्य के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने का हकदार नहीं था या क्या वह शैक्षणिक सत्र के अंत तक जारी रह सकता है। इस मामले में, इस न्यायालय ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत अध्याय III में निहित विनियमन 21 के प्रावधानों का अर्थ लगाया जिसमें निम्न प्रावधान किये गये थे।

“21 प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे। ..... यदि किसी प्राचार्य, हेड मास्टर या शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तारीख 2 जुलाई से 30 जून के बीच आती है, तो उस स्थिति में प्राचार्य, प्राधानाध्यापक या शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तारीख शैक्षणिक वर्ष के बीच में आती है, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित व्यक्ति जारी रखने की इच्छा नहीं रखता है और सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले नोटिस जारी करता है, शैक्षणिक वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएगा और उक्त विस्तार को स्व.अनुदानित माना जाएगा।

सेवा में आगे विस्तार केवल उन विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा जिनकी सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की गई है.....“इस न्यायालय ने विनियमन 21 के संदर्भ में, धारित किया कि एक व्यक्ति जो 2 जुलाई को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में सेवा में था, वह हकदार था अगले वर्ष के शैक्षणिक सत्र (30 जून) के अंत तक सेवा जारी रखें। उस संदर्भ में रामवीर के मामले को संदर्भित करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि

“इस प्रकार, विनियम 21 के तहत उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 30.06.2008 तक बढ़ा दी गई मानी जाएगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को 6.8.2007 को सेवानिवृत्त नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसे विनियम 21 (ऊपर उद्धृत) के तहत केवल 30.06.2008 को सेवानिवृत्त माना जाएगा। यदि उन्हें 30.06.2008 को सेवानिवृत्त होना था, तो स्वाभाविक रूप से, प्राचार्य का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के साथ समाप्त हो जाएगा। इस न्यायालय की उपरोक्त अवधारणा विशेष रूप से विनियमन 21 के संदर्भ में की गई थीं, जिसमें परिकल्पना की गई थी कि जहां एक प्राचार्य या शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तारीख अगले वर्ष 2 जुलाई और 30 जून के बीच आती है, वहां पदधारी वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएगा। शैक्षणिक वर्ष और विस्तार प्रदान किया गया माना जाएगा। ऑप्ट.आउट प्रावधान की प्रकृति में अपवाद है, जहां कोई कर्मचारी जारी रखने की इच्छा नहीं रखता है और सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले नोटिस जारी करता है। विनियम 21 में निहित प्रावधान उन शर्तों से भौतिक रूप से भिन्न हैं जिनके अधीन चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों

को जीओ दिनांक 19 नवंबर 2012 द्वारा सत्र समाप्ति लाभ प्रदान किया गया था। दोनों प्रावधानों के बीच तुलना से पता चलता है कि विनियमन 21 एक ऑप्ट.आउट प्रावधान प्रदान करता है विकल्प के प्रयोग की अनुपस्थिति में, शिक्षक "शैक्षणिक वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएगा" और "विस्तार" प्रदान किया गया माना जाएगा। इसके विपरीत, 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना में कहा गया है कि सत्र समाप्ति लाभ का अनुदान कर्मचारी के कार्य और आचरण के संतोषजनक होने सहित निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए राम वीर शर्मा का निर्णय अलग है।

22. हेमा पाठक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय में इस बात पर विचार किया गया कि क्या शिक्षक को 18 मई 2013 को प्रबंधन समिति द्वारा उचित रूप से पदोन्नत किया गया था। डीआईओएस ने माना कि शिक्षक उस तारीख से पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे जिसमें पदोन्नति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और सत्र के अंत तक जारी था और इसलिए वह पदोन्नति का हकदार नहीं था। इस मुद्दे से निपटते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा धारित किया गया कि सेवा का विस्तार सभी उद्देश्यों के लिए सेवा का एक हिस्सा था और पदधारी को सत्र के अंत में सेवानिवृत्त माना जाता है। इसलिए, यदि ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति सहित कोई लाभ देय हो, तो इसके विपरीत प्रावधान के अभाव में इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हेमा पाठक के मामले में निर्णय अलग है और इसका 19 नवंबर 2012 के जीओ के निर्माण पर कोई असर नहीं है। इसी तरह, डॉ. राजेंद्र चौधरी (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना के तहत सीधी भर्ती की ऊपरी आयु सीमा को हटाने की वैधता से संबंधित है। इस पहलू से निपटते हुए, श्री न्यायमूर्ति नागेश्वर राव ने 28 अगस्त 2019 के निर्णय में अवधारित किया गया है.

12. उच्च न्यायालय ने डॉ. जूही सिंघल (सुप्रा) में प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि की चुनौती को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एमसीआई द्वारा बनाए गए नियम सेवा नियमों पर अधिभावी होंगे। उक्त निर्णय में, उच्च न्यायालय का विचार था कि दिनांक 06.02.2015 का

सरकारी आदेश केवल नियमों का पूरक है और उनका स्थान नहीं लेता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा संस्थानों में प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह छूट दी गई है। ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल उन विभागों पर लागू थी जहां 25 प्रतिशत या अधिक पद रिक्त थे और अन्य विभागों के संबंध में राज्य सरकार ने उन्हें नहीं भरने का निर्णय लिया था। नवयुग अभियान समिति (सुप्रा) में, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि पर विचार करते समय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उसी तर्क और कारण का पालन किया। हमें उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसरों की सेवा शर्तों से संबंधित एमसीआई द्वारा बनाए गए नियम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बनाए गए सेवा नियमों पर लागू होंगे। दिनांक 06.02.2015 के सरकारी आदेश को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई, जिस कारण वे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं।

23. डॉ. राजेंद्र चौधरी के मामले का मुद्दा इस मामले के केंद्रीय बिंदु से अलग था। वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी जो पहले से ही प्रचलित नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था और सत्र के अंत तक जारी था, अधिसूचना दिनांक 6 के तहत सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के लाभ का हकदार होगा। फरवरी 2015. डॉ. राजेंद्र चौधरी का फैसला इसलिए अलग है।

24. जिन कारणों से हमने संकेत दिया है, हम मानते हैं कि अपीलार्थी ने प्रासंगिक समय पर प्रचलित सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है . वह 6 फरवरी 2015 की अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं था। दिनांक 19 नवंबर 2012 के निर्णय के अनुसार, अपीलार्थी सेवानिवृत्ति के बाद सत्र के अंत (30 जून 2015) तक पद पर बने रहे। वह 65 वर्ष की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु के हकदार नहीं थे। अपीलार्थी को देय टर्मिनल लाभों की गणना तदनुसार की जाएगी और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जारी की जाएगी। हमने जो कारण बताए हैं, उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपील में कोई गुण नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। खर्च के संबंध

में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का खारिज किया जाता है।

अंकित ग्यान **अपील खारिज**

Pawan Kumar No.II

Page no.1158 to1174